

**CERTIFICATE PROGRAMME IN CONSUMER
PROTECTION**

Term-End Examination

00693

June, 2019

CPI : CONSUMER PROTECTION ISSUES

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

(Weightage : 70%)

-
- Note :**
- (i) *Attempt any two questions from Section-I. Each question carries 20 marks.*
 - (ii) *Attempt any four questions from Section-II. Each question carries 10 marks.*
 - (iii) *Attempt any four questions from Section-III. Each question carries 5 marks.*
-

SECTION - I

Answer any two of the following questions in about 600 words. **2x20=40**

1. Describe the nature and importance of U.N. Guidelines 1999 for Consumer Protection.
2. State the duties of consumers as provided under the Consumer Protection Act, 1986. Are they necessary ? Explain.

3. Explain the Hazard Analysis critical Control Point System (HACPS) and its benefits.
4. Describe the limitations and problems faced by the Consumer Redressal Fora.

SECTION - II

Answer **any four** of the following questions in about **300** words each. **4x10=40**

5. What constitutes Deficiency as per Consumer Protection Act, 1986 ? Explain with the help of decided case laws.
6. Describe the composition and Powers of the National Commission under the Consumer Protection Act, 1986.
7. What role does the Bureau of Indian Standards (BIS) play in relation to food ? Explain.
8. Discuss with the help of case laws, what the plaintiff has to prove for action against medical negligence.
9. Describe the conditions that the state governments can prescribe to regulate the manufacture, sale and distribution of Drugs and Cosmetics under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
10. Discuss the role of Consumer Activist in Consumer Protection in India.

SECTION - III

Write short notes on **any four** of the following in about 150 words each. **4x5=20**

11. Right to Consumer Education
 12. Frivolous Complaint
 13. Meat Products Order
 14. Aims and objects of the Competition Act, 2002
 15. Main features of the Standard of Weights and Measures Act, 1976
 16. Additional powers conferred upon the Consumer Fora by the Amendment made in 2002 in the Consumer Protection Act, 1986
-

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

सत्रांत परीक्षा

जून, 2019

सी.पी.आई. : उपभोक्ता संरक्षण - मुद्दे

समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 100

(कुल का 70%)

-
- नोट : (i) भाग-I : से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।
- (ii) भाग-II : से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।
- (iii) भाग-III : से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।
-

भाग - I

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक का) लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं। $2 \times 20 = 40$

1. उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश, 1999 के स्वरूप और महत्व का वर्णन कीजिए।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वर्णित उपभोक्ता के कर्तव्यों की जानकारी दीजिए। क्या ये ज़रूरी है? - स्पष्ट कीजिए।

3. खतरा विश्लेषण नियंत्रण बिंदु प्रणाली (HACPS) और इसके लाभों का वर्णन कीजिए।
4. उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष आने वाली सीमाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए।

भाग - II

निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक का) लगभग 300 शब्दों में दीजिए। 4x10=40

5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कमी से क्या अभिप्राय है? निर्णीत निर्णय-विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
7. खाद्य पदार्थ के संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की क्या भूमिका होती है? वर्णन कीजिए।
8. निर्णीत निर्णय-विधियों की सहायता से चर्चा कीजिए कि चिकित्सा लापरवाही के विरुद्ध क्रिया के लिए वादी को क्या सिद्ध करना पड़ता है?
9. औषधि एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत औषधियों और प्रसाधन-सामग्री के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए राज्य सरकारें जो शर्तें निर्धारित कर सकती हैं, उनका वर्णन कीजिए।
10. भारत में उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता कार्यकर्ता की भूमिका की चर्चा कीजिए।

भाग - III

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर (प्रत्येक पर) लगभग
150 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 4x5=20

11. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
 12. झूठी शिकायतें
 13. माँसाहार उत्पाद आदेश
 14. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के लक्ष्य व उद्देश्य
 15. मानक भार व तोल अधिनियम, 1976 की मुख्य विशेषताएँ
 16. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में 2002 में संशोधन करके उपभोक्ता फोरम को प्रदान की गई अतिरिक्त शक्तियाँ
-